

शा० सं० 1563/010-4-7ई0एस0-79

प्रेमक,

बी०के० चतुर्वेदी,  
सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,  
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश ।

तखनउः दिनांक अवदू 1-11-90

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-4530-11-265-1946 दिनांक 1-2-1947 का रन्दर्भ लें जिसमें इस आशय के आदेश निगति किये गये थे कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों अध्यक्ष एवम् सचिव दो पदाधिकारियों को विशेष आकांक्षक अवकाश की अवधि 14 दिन रखी गयी थी के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विशेष आकांक्षक अवकाश की सीमा अवधि बढ़ कर पदाधिकारियों के लिए 30 दिन की जाती है तथा पदाधिकारियों को उक्त अवधि में कार्य पर उपरोक्त मानकर अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

भवदीय,

ह० बी० के० चतुर्वेदी  
सचिव

संख्या -1563/010-4-7ई0सो0-79 तद दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1- शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र० ।
- 3- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० ।
- 4- राज्य संचालित परामर्श संगठन के समस्त सदस्य ।
- 5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

अज्ञात से

पी० के० पाण्डेय  
उपसचिव  
परामर्श